Dr. Madan Paswan, History.
Class :- B.A. Part-I (Hons. P-I + Sub.)
Topic : Unit-IVth (iii) Harshavardhana.
(Continue......)

August 2020 ①
Lecture No. 12.
Date: 10/08/2020
from Page no. 1 to 2.

चीन से सम्बन्ध :- ह्वेनसांग ने चीनी सम्राट के विषय में हर्ष को जो कुछ बताया उससे वह बहुत प्रभावित हुआ। 641 ई० में अतर लेकर एक चीनी दूतमण्डल भारत पहुँचा। मा-त्वान-लिन ने इसका निम्न वर्णन किया है— "शिलादित्य ने मगध का राजा की उपाधि धारण कर ली और एक दूत को पत्र देकर दूत के रूप में भेजा और शिलादित्य को (चीनी सम्राट के प्रति) समर्पण करने के लिए निमन्त्रण दिया।"

643 ई० में ली-य-प्याओ और वांग-ह्यान-त्से के अधीन एक और चीनी दूतमण्डल अपने साथ चीनी सम्राट का उत्तर भी लाया और उसके सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। वांग-ह्यान-त्से के चीन पहुँचने के शीघ्र बाद ही भारत भेज दिया गया। यह दूतमण्डल संभवतः हर्ष के पत्र के बाद आया जो उसने ह्वेनसांग के हाथ भेजा था। त्साँग-च्यू-जैन्न के साथ वांग-ह्यान-त्से फिर भारत के लिए रवाना हो गया, किन्तु दुर्भाग्यवश तीसरे दूतमण्डल के भारत पहुँचने के पहले ही हर्ष की मृत्यु हो चुकी थी।

शासन-प्रबन्ध :- एक विजेता तथा साम्राज्य निर्माता होने के साथ-साथ हर्ष एक कुशल प्रशासक भी था। यहाँ उल्लेखनीय है कि हर्ष ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया अपितु उसने गुप्त-शासन प्रणाली को ही कुछ संशोधनों एवं परिवर्तनों के साथ अपना लिया।

सम्राट :- सम्राट हर्ष के समय में भी शासन-व्यवस्था का स्वरूप राजतन्त्रात्मक था। राजा अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। वह परमभट्टारक, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, परमेश्वर एकाधिराज, सार्वभौम, परम देवता जैसी उपाधियाँ धारण करता था। सम्राट की गणना देवताओं में की जाती थी। प्रजा की दृष्टि में शासक में इन्द्र और वरुण जैसे देवताओं के गुण मौजूद होते थे। वह प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। सम्राट कार्यपालिका का प्रधान अध्यक्ष, न्याय का प्रधान न्यायाधीश तथा सेना का सबसे बड़ा सेनापति हुआ करता था। फिर भी हर्ष निरंकुश राजा नहीं था। प्राचीन शास्त्रों के आदेशों का अनुकरण करते हुए उसने प्रजा रक्षण तथा पालन को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाया। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष अत्यन्त कर्तव्य परायण शासक था। राज्य-प्रबन्ध में उसे कभी थकान का अनुभव नहीं होता था। प्रजा की दशा जानने के उद्देश्य से वह प्रायः अपने राज्य का भ्रमण किया करता था। व्यक्तिगत संपर्क के लिये अपनी यात्रा-काल में हर्ष 'जयस्कन्धावरों' अर्थात् शिविरों में ठहरता था। इस तरह हर्ष अत्यन्त उदार शासक था और अपने राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखता था। वह विद्वानों, निर्धनों तथा भिक्षुओं को खुले हाथ से दान दिया करता था। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष का सम्पूर्ण दिन तीन भागों में विभक्त था। एक भाग में वह प्रशासनिक कार्य करता था तथा शेष दो भागों को धार्मिक कार्यों में व्यतीत करता था। वह अथक परिश्रम करता था और इन कार्यों के लिए उसे दिन अत्यन्त छोटा पड़ता था।

(Contd....)

सामन्त तथा मंत्रिपरिषद् :-

हर्ष के अधीनस्थ शासक 'महाराज' अथवा 'महासामंत' कहे जाते थे। हर्षचरित के अनुसार सामन्तों के प्रकार निम्नलिखित थे :-

1. सामन्त,
2. महासामन्त,
3. आप्त सामन्त,
4. प्रधान सामन्त,
5. शत्रु सामन्त और
6. प्रति सामन्त।

ये सामन्त समय-समय पर उसकी राजसभा में उपस्थित होते, विभिन्न समारोहों में भाग लेते तथा युद्धों के अवसर पर सम्राट को सैनिक सहायता देते थे। हर्ष काल तक आते-आते सामन्त शब्द का प्रयोग भूस्वामियों, अधीन राजाओं तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के लिए होने लगा था। यह स्पष्ट है कि हर्षकालीन प्रशासन पहले से कहीं अधिक सामन्ती तथा विकेन्द्रित हो गया था।

[Continue.....]

Date: 10/08/2020